अनुसूचित जाति / जनजाति कल्याणर्थ प्रकोष्ठ
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांकःएस.सी / एस.टी.प्रकोष्ठ / 2012 / 165 दिनांक 28-06-2012

प्रति,

विभागाध्यक्ष / समन्वयक / निदेशक
समस्त अध्ययनशालाऐं,
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
प्राचार्य / प्राचार्या,
संबंधित महाविद्यालय की ओर,

विषय :– अनुसूचित जाति / जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृति / वितरण वर्ष 2012–2013 संबंधी दिशा निर्देश ।

महोदय,

यह पत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है कृपया इसे ध्यान से पढ़े एवं नीचे दिए गये विवरणानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि कार्यालय कलेक्टर (आदिम जाति, कल्याण विभाग) ग्वालियर के पत्र क्रमांक / पो.मे.छा. / परिपत्र / 2012–2013 / 210 दिनांक 23.04.2012 की दिशा निर्देश की प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है जिसके नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं समयावधि का विशेष ध्यान रखें ।

अतः समस्त अध्ययनशालाओं एवं महाविद्यालयों में बेबर स्कीम एवं पेमेंट सीट के अंतर्गत प्रवेशित छात्र–छात्राओं का उल्लेख अवश्य करें । संलग्न दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित नहीं करने पर संबंधित महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं / स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों के विभागाध्यक्ष / समन्वयक / निदेशक जिम्मेदार होंगें ।

भवदीय

संलग्न : दिशा–निर्देश

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

प्रभारी
(एस.सी. / एस.टी. / सेल)

कार्यालय कलेक्टर (आदिम जाति कल्याण विभाग) ग्वालियर

(103,104 खेड़ापति कॉलोनी ग्वालियर) दूरभाष –0751–2330948 Email – twelfaregwa-mp@nic.in

क्रमांक / पो.मे.छा. / परिपत्र / 2012–13 / ...... 210 ग्वालियर, दिनांक, 23.4.012

–: परिपत्र :–

विषय :– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछडा वर्ग के छात्र–छात्राओं को पो.मे.छा. स्वीकृति / वितरण वर्ष 2012–13 संबंधी दिशा निर्देश।

......00......

शासन की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछडा वर्ग की पोस्ट मेंट्रिक योजना के अंतर्गत वर्ष 2012–13 में शैक्षणिक संस्थाओं में कक्षा 11 वी एवं 12 वी से स्नातकोत्तर तक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेशित इस वर्ग के छात्र–छात्राओं की छात्रवृत्ति स्वीकृति / वितरण के संबंध में निर्देश प्रसारित किये जा रहे है, यह मार्गदर्शी निर्देश अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछडा वर्ग के केन्द्र, एवं राज्य शासन के पोस्ट मेंट्रिक छात्रवृत्ति नियम एवं निर्देशें के अधीन होंगे।

शैक्षणिक संस्थाओं के प्रमुख / प्राचार्य अपनी संस्थाओं में समय सीमा में छात्रवृत्ति के प्रकरण तैयार करा कर वितरित करने के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायी होंगे।

1 छात्रवृत्ति के प्रकरण तैयार किये जाना :–

1.1 **कक्षा 11वीं एवं 12वीं हेतु** – शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होते ही संस्था में प्रवेशित विद्यार्थियों के ऑनलाइन वेवसाइट **http://www.scholarshipportal,mp.nic.in** पर ऑनलाइन भरे जायेगें । इसके लिए प्रत्येक संस्था प्रमुख की जवाबदारी होगी कि वह दिनांक 31 जुलाई तक विद्यार्थियों के ऑनलाइन फार्म भरवाने के प्रकिया पूर्ण कर लेगें इसके लिये सभी शैक्षणिक संस्थाओं को यूजर्स आइडी एवं पासवर्ड विगत वर्ष में दिये जा चुका है । इस संबध में समस्या होने पर कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास से संपर्क किया जा सकता है ।

1.2 **स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर** :– पूर्व की भांति महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर के छात्र–छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति के ऑन–लाईन आवेदन किये जायेगें। छात्रवृत्ति का ऑन–लाईन आवेदन करने एवं छात्रवृत्ति संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिये वेबसाइ का पता– **http://www.scholarshipportal,mp.nic.in** है । छात्रवृत्ति के ऑन लाईन प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जायेगा। अगर किसी कारण वश कोई छात्र–छात्रा अपना आवेदन ऑन–लाइन कर नही भर पा रहा है, तो संस्थाए अपने स्तर पर भी आवेदन ऑन–लाइन भरने की कार्यवाही कर सकती है।

1.3 इस प्रणाली का उपयोग हेतु प्रत्येक संस्था के छात्रवृत्ति से संबंधित प्रभारी अधिकारी को लॉग–इन आइडी तथा पासवर्ड दिया गया है। जिन संस्थाओं को लॉग–इन संबंधित पासवर्ड नहीं मिला है वे इसे कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।

2. आवेदन पत्रों की पूर्णता –

संस्था द्वाराछात्रवृत्ति के आवेदन में यथा स्थान समस्त कालमों की पूर्तियां पूर्व रूप से की जावे, कोई कालम रिक्त नही रहे जो लागू नही है वहां स्पष्ट अंकित किया जाये स्थान रिक्त नही छोडा जाये, अन्यथा आवेदन पत्र मान्य नही किये जावेगें। आवेदन पत्र के पृष्ठ क्र. 7 पर संलग्न अनुसूची की पूर्ण पूर्ति के साथ पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर होना अति आवश्यक है। इसके बिना आवेदन पत्र अमान्य किया जावेगा। आवेदन में पिता के व्यवसाय का स्पष्ट खुलासा एवं पूर्ण विवरण दिया जाना अनिवार्य है।

2.1 नवीन आवेदन पत्र के संलग्न स्थायी जाति प्रमाण पत्र (एसडीएम) द्वारा ही प्रदत्त मान्य होगा एवं आय प्रमाण पत्र, जो तीन वर्ष से पुराना नही हो मान्य होगा , विगत वर्षो की अंक सूची, गेप प्रमाण पत्र आदि आवश्यक होगे।

2.2 नवीनीकरण के आवेदन स्कालरशिप साइट पर पृथक से कॉलम मे दिया गया है। नवीनीकरण वाले कॉलम पर क्लिक कर अपना आवेदन भर सकते है। जिसमे आपके पूर्व वर्ष के आवेदन का नंबर,जन्म दिनांक, पिता का नाम, एवं अन्य जानकारियॉ प्रविष्ट की जा सकेगी। ततपश्चात प्रिन्ट निकालकर आय, गत वर्ष की अंकसूची, आदि संलग्न कर परक्षीण कर ही प्रस्ताव ऑनलाईन तैयार कर लॉक करने के पश्चात अग्रेषित कियेा जाये ।

2.3 प्रायः अशासकीय संस्था प्रमुखों द्वारा आवेदन पत्र अपूर्ण एवं उनके स्तर से परीक्षण किये बगैर ही नोडल संस्था में प्रस्तुत कर दिये जाते है जो कि, आपत्तिजनक है। आवेदन में अंकित समस्त बिन्दुओं की पूर्ति एवं स्थाई जाति प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, विगत वर्षो की अंकसूची आदि नही होने संबंधी त्रुटि पाये जाने पर आवेदन स्वतः ही निरस्त होने की स्थिति में यदि कोई छात्र–छात्रा छात्रवृत्ति से वंचित रहते है इसके लिये संस्था पूर्णरूपेण जिम्मेदार होगें। कार्यालय से बाद मे आवेदन स्वीकृत नही किये जायेगे, एवं छात्र–छात्रा को छात्रवृत्ति की राशि संस्था द्वार स्वयं वहन करेगी।

2.4 अशासकीय संस्था द्वारा प्रतिवर्ष आवेदन के साथ मान्यता प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अन्यथ मान्यता प्रमाण–पत्र के अभाव मे आवेदन निरस्त किया जावेगा ।

2.5 आवेदन पत्रो मे पालक और संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है ।

2.6 प्रत्येक आवेदन के संलग्न विगत वर्ष की अंकसूची संलग्न होना अनिवार्य है।किसी वर्ष की अं सूची के अभाव मे उस वर्ष का प्रमाणित गेप प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।

2.7 ऑन लाईन आवेदन मे वर्ग एवं उपजाति स्पष्ट अंकित की जावे।

2.8 प्रत्येक संलग्न पत्रक अंकसूची, जाति, आय प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति जिसमे प्रमाण पत्र जा करने वाले अधिकारी की पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर स्पष्ट अंकित होना चाहिए, पद मुद्रा एवं हस्ताक्ष स्पष्ट नही होने पर आवेदन निरस्त किया जा सकेगा जिसका उत्तरदायित्व संस्था का रहेगा।

3. आवेदन करने की अंतिम तिथि –

3.1 कक्षा 11वी एवं 12वी के विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र 30 अगस्त तक प्राप्त कर : सितम्बर तक संकुल प्राचार्य द्वारा उनकी ऑनलाइन स्वीकृतिया लॉक की जायेगी और दी ग स्वीकृतियों के अनुसार संकुल से सम्बद्ध सभी विद्यालयो के लिये 15 अक्टूबर तक सहाय आयुक्त आदिवासी विकास ग्वालियर से राशि की मांग कर ली जायेगी ।

3.2 कक्षा 11वी एवं 12वी की स्वीकृतियेा के अनुसार सहायक आयुक्त आदिवासी के द्वारा दिनांक : अक्टूबर तक छात्रवृत्ति की राशि जारी कर दी जायेगी ।

3.3 कक्षा 11वी एवं 12वी की समस्त छात्रवृत्तियो का वितरण दिनांक 30 नबम्बर तक किया जा अनिवार्य है ।

3.4 स्नातक एवं स्नाकोत्तर स्तर पर छात्रवृत्ति स्वीकृति के लिये प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा संस्था प्रमुख को प्रवेश लेने के 15 दिवस के अंदर आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करना होगा निर्धारित समयावधि के पश्चात या अपूर्ण आवेदनों या निर्धारित प्रमाण–पत्रों के बगैर किये गये आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने के एक माह के भीतर पात्र अनुसार तया दिया जाना अनिवार्य है । 31 दिसम्बर तक सभी पात्र विद्यार्थियो को छात्रवृत्ति का वितरण किया जाना आवश्यक है ।

3.5 पूरक में आने वाले छात्रों के आवेदन पत्र पूरक परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के अंदर प्राप्त हो जाने चाहिए।

3.6 जिन संस्थाओं में प्रवेश परीक्षा अथवा कांउसलिंग प्रक्रिया के कारण विलंब होता है ऐसी संस्थाओं के छात्रवृत्ति स्वीकृति के प्रस्ताव प्रवेश दिनांक के 30 दिवस के अंदर तैयार कर संस्था द्वारा नोडल अधिकारी को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जावे।

4. आय सीमा :–

4.1 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति के लिये विद्यार्थी के पालक की वार्षिक आय सीमा निम्नाकित है :–

क्र.	श्रेणी वर्ग	आय सीमा	छात्रवृत्ति दर
	2	3	4
1	अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति	रूपये 2.00 लाख वार्षिक् तक	निर्धारित दर से पूर्ण छात्रवृत्ति एवं शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क सहित
		रूपये 2.00 लाख से अधिक परन्तु रूपये ३.०० लाख से अधिक नही	केवल आधा शिक्षण शुल्क एव आधा परीक्षा शुल्क (छात्रवृत्ति नही)
2	पिछडा वर्ग	1. मेडिकल, इंजिनियरिंग एवं तक पाठ्यक्रम एवं व्यावसायिक तथा अन्य हेतु आय सीमा रूपये 75000/– तक	निर्धारित दर से छात्रवृत्ति एवं परीक्षा शुल्क सहित शिक्षण शुल्क

4.2 आय प्रमाण–पत्र एवं आय की गणना के संबंध में –

माता पिता/अभिभावक द्वारा सभी स्त्रोतो से आय बतलाते हुए, आय की घोषणा एवं आय प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मान्य होगा । आय का प्रमाण–पत्र केवल शासकीय कार्यालय या प्रायवेट लिमिटेड संस्था जो रजिस्टर्ड है का मान्य होगा।

अन्य प्रायवेट संस्था जैसे किसी दुकान इत्यादि का आय प्रमाण–पत्र मान्य नही है। ऐसे प्रकरण में राजस्व अधिकारी द्वारा जारी पिता/पालक का आय प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा। विगत वर्षो में देखा गया है कि, आय प्रमाण–पत्र छात्र–छात्रा के नाम से ही जारी किया गया जो मान्य नही होगा। अमान्य आय प्रमाण–पत्र अथवा कूट रचना कर दिये गये आय प्रमाण–पत्र के आधार पर छात्रवृत्ति प्रस्ताव भेजने वाली संस्था के विरूद्ध शासन से धोखाधडी करने का प्रकरण दर्ज कराया जा सकेगा।

पालक के आय की गणना सकल वेतन (मूल वेतन+डी.ए. एवं अन्य कुल परिलब्धियां) से मिलने वाले समस्त लाभों के आधार पर ही की जायेगी।

5. छात्रवृत्ति स्वीकृत किया जाना –

(क) कक्षा 11वी एवं 12वी हेतु –

5.1 शासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के अधिकार एवं उत्तरदायित्व संबधित संस्था के प्राचार्य को यथावत रहेगा ।

5.2 अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत कक्षा 11वी एवं 12वी के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति आवेदन पत्र छात्र द्वारा ऑनलाइन करने के बाद संबधित संस्था द्वारा उसकी प्रवृष्टिया ऑनलाइन पुष्ट की जायेगी एवं उन्हे संकूल प्रचार्य के लिये लॉक किया जायेगा । आवेदन पत्र के हार्डकॉपी पर संस्था प्राचार्य द्वारा यथा स्थान हस्ताक्षरित कर छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु संबधित संकूल के प्राचार्य के पास भेजा जायेगा । अशासकीय संस्थाओं में कक्षा 11वी एवं 12वी में अध्ययनरत विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के अधिकार सकूंल प्राचार्य को होगें ।

5.3 शासन के निर्देशानुसार पात्र एवं सही विद्यार्थियों को ही छात्रवृत्ति समय सीमा में स्वीकृत कर प्रदाय की जा रही है । इसके लिये संबधित संस्था एवं संकूल प्राचार्य संयुक्त रूप से उत्तरदायी होगें ।

(ख) महाविद्यालय / विश्वविद्यालय एवं अन्य व्यवसायिक पाठ्यकम की छात्रवृत्तिया स्वीकृत किया जाना –

5.4 शासकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के अधिकार एवं उत्तरदायित्व संबधित संस्था के प्राचार्य / प्रमुख को पूर्व की भांति यथावत रहेगा ।

5.5 मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के अधिकार संबधित अशासकीय संस्था के नोडल शासकीय संस्था के प्राचार्य / प्रमुख को पूर्व की भांति प्रत्यायोजित किये जाते है । प्रत्येक नोडल शासकीय संस्था के प्राचार्य / प्रमुख अपने अधिकार क्षेत्र में दिये गये अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के लिये उत्तरदायी होगें ।

5.6 आशासकीय संस्था के प्राचार्य / प्रमुख का यह दायित्व होगा कि वे अपनी संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों से ऑनलाइन छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र समय सीमा में प्राप्त करेगें और उनका परीक्षण कर पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करने का प्रास्ताव अपने हस्ताक्षर एवं शील सहित संबधित नोडल शासकीय संस्था को तय समय सीमा में भेजगें ।

5.7 शासकीय नोडल संस्था के प्राचार्य / प्रमुख का उत्तरदायित्व होगा की वे अशासकीय संस्थाओं से प्राप्त होने वाले छात्रवृत्ति प्रस्ताव के परीक्षण हेतु न्यूनतम दो सदस्यीय समिति बना ले और शासन के नियमानुसार परीक्षण कर पात्र विद्यार्थियों की स्वीकृति जारी करे । अशासकीय संस्था से छात्रवृत्ति के प्रस्ताव प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर नोडल शासकीय संस्था द्वारा पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्तिया स्वीकृतिया जारी कर सहायक आयुक्त अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति , पिछंड़ा वर्ग कल्याण विभाग ग्वालियर को राशि जारी करने हेतु भेजा जायेगा ।

5.8 नोडल संस्थाओं द्वारा जो भी स्वीकृतिया जारी की जायेगी उसमें स्वीकृतकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर नाम युक्त सील तथा दिनांक होना अनिवार्य है ।

5.9 छात्रवृत्ति संस्था में अध्ययनरत पात्र एवं वास्तविक विद्यार्थियो को ही स्वीकृत कर वितरित की जा रही है । इसके लिये संबधित संस्था एवं नोडल संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

5.10 गलत अथवा अपात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत कर यदि आदिम जाति कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त कर ली जाती है । अथवा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है तो इसे घोर वित्तिय अनियमितता एवं धोखाधड़ी का प्रकरण मान्य कर संबधित संस्था एवं नोडल संस्था प्रमुख दोनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

5.11 यदि किसी छात्र द्वारा फर्जी दस्तावेज लगाकर छात्रवृत्ति प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है अथवा छात्रवृत्ति प्राप्त किया जाता है तो संबधित संस्था के प्राचार्य / प्रमुख का उत्तरदायित्व होगा

कि उक्त छात्र के विरूद्ध उचित प्रकरण दर्ज करते हुये आदिम जाति कल्याण विभाग में भी उसकी सूचना देवें ।

5.12 शासकीय संस्था / नोडल शासकीय संस्था से छात्रवृत्ति की स्वीकृति प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा छात्रवृत्ति की राशि जारी कर दी जायेगी ।

6 छात्रवृत्ति का वितरण एवं शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति –

6.1 आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का वितरण सीधे छात्र एवं संस्था बैंक खाते में राशि के इलेक्ट्रानिकली ट्रांसफर (आरटीजीएस अथवा एनइएफटी) द्वारा किया जायेगा ।

6.2 शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि सीधे संस्था के खाते में भेजी जायेगी एवं छात्रों को प्रदाय किये जाने वाले अनुरक्षण भत्ता की राशि सीधे संबधित छात्रों के खाते में भेजी जायेगी ।

6.3 चुकि राशि संबधित के बैंक खाते में में सीधे ट्रांसफर की जायेगी । इसके आवश्यक है कि संबधित छात्र एवं संस्था के द्वारा अपने बैंक खाते का सही – सही व्यौरा ऑनलाइन भरा जाये । जिसमें बैंक का नाम , शाखा का नाम , बैका का आई एफ एस सी कोड एवं खाता कमांक शामिल है । साथ ही खाता धाराक के नाम की स्पेलिंग भी बड़ी होने चाहिये जो बैंक खाते में अंकित है । यदि उक्त ऑनलाइन प्रविष्टी लगत भरी जाती है तो राशि खाते में नही जाने अथवा गलत खाते में चली जाने के लिये प्रविष्टीकर्ता स्वंय उत्तरदायी होगें ।

6.4 निर्धारित आय सीमा में आने वाले विद्यार्थियो के शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाती है । जो किसी भी पाठ्य कम के लिये शासकीय संस्थाओं में लिये जाने वाले सम्पूर्ण शिक्षण शुल्क (छात्रो को वापसी योग्य काशन मनी आदि को छोड़कर) के बराबर है। अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शिक्षण शुल्क में यदि कोई अन्तर की राशि है तो उन्हे स्वंय वहन करनी होगी । अशासकीय संस्थाओं के विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति शासकीय संस्थाओ के बराबर की जायेगी ।

6.5 कतिपय पाठ्यकमों में निजी संस्थाओं के लिये शासकीय संस्थाओं में लगने वाली औसत फीस के आधार पर अधिकतम शिक्षण शुल्क का निर्धारण किया गया है (छात्रवृत्ति हेतु) जो परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

6.6 शिक्षण शुल्क छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियो से नही ली जाये बल्कि उसकी प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति से की जाये । यदि किसी अशासकीय संस्था द्वारा छात्रो से पूर्व में फीस ली गई है तो ऑनलाइन उसकी प्रविष्टी छात्रों के भुगतान के कॉलम मे की जाये । जिससे छात्रवृत्ति के साथ–साथ शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति भी सीधे संबधित छात्र के बैंक खाते में की जा सकेगी ।

6.7 शासकीय संस्थाओं द्वारा छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्र / छात्रा से शिक्षण शुलक नही लिया जाता है । परन्तु विगत वर्ष यह देखने में आया है की कतिपय संस्थाओं द्वारा त्रृटिवश उसकी आनलाइन प्रविष्टी छात्रों को की जाने वाली भुगतान राशि के कालम में कर दी गई है । जिससे राशि जारी करने के लिये ऑनलाइन प्राप्त होने वाली बैंक एडवाइज में संस्था के खाते में भुगतान की राशि शुन्य अंकित होकर विद्यार्थी को भुगतान होने वाली बैक एडवाइज में सम्पूर्ण राशि अंकित हो जाती है । अतः ऑनलाइन प्रविष्टी में सर्तकता रखी जाये ।

7. अन्य राज्य के विद्यार्थी के संबंध में :–

म.प्र. राज्य के बाहर के राज्यों के अनु. जाति / अनु. जनजाति / पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति प्रस्ताव उनके मूल राज्य के संबंधित जिले के कलेक्टर को स्वीकृति हेतु भेजे जायेगें। अन्य राज्य के विद्यार्थियों की स्वीकृतियां इस जिले से नहीं जारी होगी।

8. छात्रवृत्ति की राशि :–

छात्रवृत्ति में शामिल अनुरक्षण भत्ता की दर प्रतिमाह केवल अनु.जाति/जनजाति हेतु –

वर्ग	छात्रावासी विद्यार्थी	गैर छात्रावासी विद्यार्थी
1	2	3
वर्ग–1 मेडिकल एवं इंजिनियरिंग	1500	530
वर्ग–2 तकनिकीडिप्लोमा कोर्स/अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम	820	530
वर्ग–3 सामान्य डिग्री	570	300
वर्ग–4 हा.से. स्नातक प्रथम वर्ष	300	230

(पिछडा वर्ग की दर पृथक से संलग्न है।)

टीप :– यदि छात्रावासी छात्र को निशुल्क बोर्डिग एवं लाजिंग की सुविधा उपलब्ध है अथवा छात्रावास शुल्क का भुगतान विभाग द्वारा किया जा रहा है तो उसे छात्रावासी दर की एक तिहाई छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।

9. अवितरित राशि की वापसी :–

संस्था प्रमुख वर्ष के अंत में शेष रही अवितरित राशि जिसके वितरण की कोई संभावना नहीं है जैसे छात्र के संस्था छोडकर जाने से शेष रही राशि, उपस्थिति के मान से काटी गई शेष राशि, या अन्य कारणों से शेष रही राशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक "सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण, ग्वालियर" के नाम से इस कार्यालय को प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करेगें। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछडा वर्ग की अवितरित राशि वर्गवार अलग–अलग बैंक ड्राफ्ट से भेजी जाये।

नोट :– बैंक ड्राफ्ट/चेक की राशि का विवरण वर्षवार व वर्गवार पत्र में अंकित करें।

10. **छात्रवृत्ति वितरण का प्रमाण पत्र दिया जाना –**

10.1 छात्रवृत्ति भुगतान के पश्चात् संकूल/नोडल अधिकारी यह प्रमाण पत्र देगें कि उनके नोडल/संकूल को उपलब्ध कराई गई राशि का शतप्रतिशत भुगतान किया जा चुका है तथा कोई भी पात्र छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति के लिये शेष नही है । कक्षा 11वी एव 12वी के लिये यह प्रमाण पत्र संकूल प्राचार्य के द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर तक सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

10.2 स्नातक/स्नाकोत्तर हेतु उक्त प्रमाण पत्र नोडल प्राचार्य/प्रमुख द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर तक सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग को भेजा जायेगा ।

11. **नोडल शासकीय संस्था /संकूल प्राचार्य के लिये छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु चेकलिस्ट**

(क) **नवीन छात्रो के प्रकरण में –**

11.1 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्थाई जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही जारी की जायेगी ।

11.2 छात्रवृत्ति की पात्रता म.प्र.के निवासी विद्यार्थियों को ही होगी , परन्तु इसके लिये पृथक से निवास प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नही है । म.प्र.का स्थाई जाति प्रमाण पत्र म.प्र.के निवासी होने के स्वयं प्रमाण है ।

11.3 परिपत्र मे दिये विवरण अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण के आधार पर ही छात्रवृत्ति स्वीकृत की जायेगी ।

11.4 **पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु केवल वे छात्र ही पात्र होगें जिसका प्रवेश मूल टी.सी.के आधार पर लिया गया है ।**

11.5 यदि पिछली कक्षा एवं वर्तमान कक्षा में गैप है तो छात्र को इस गैप हेतु शपथ पत्र देना होगा कि इस दौरान वह कही और अध्ययन नही रहा है ।

11.6 समान डिग्री हेतु पूर्व में छात्रवृत्ति दिये जाने के पश्चात् पुन' छात्रवृत्ति देय नही होगी । उदाहरण के लिये यदि किसी भी विद्यार्थी ने एम.ए. किया है और छात्रवृत्ति प्राप्त की है तो पुनः किसी अन्य विषय से एम.ए.करता है तो उसे पुनः छात्रवृत्ति की पात्रता नही होगी ।

11.7 अशासकीय संस्थाओं में अध्यनरत विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृति के लिये आवश्यक है कि उस संस्था के पास संबधित पाठ्यक्रम संचालित करने की सक्षम मान्यता सक्षम, प्राधिकारी/संस्था का प्राप्त हो । मान्यता संबधी परीक्षण के पश्चात् ही अशासकीय संस्थाओ की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाये ।

11.8 अशासकीय संस्थायें जितनी सीट्स स्वीकृत है प्रवेश उससे अधिक सीट्स पर नही हुआ हो।

11.9 छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र के साथ पूर्व वर्ष की उत्त्तीण अंक सूची संलग्न होना अनिवार्य है ।

(ख) **नवीनीकरण के प्रकरण में —**

11.10 नवीनीकरण के प्रकरण में छात्र द्वारा पूर्व वर्ष की उत्त्तीण की अंकसूची लगाया जाना पर्याप्त होगा ।

11.11 अशासकीय संस्थाओं के लिये यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा कि उनकी मान्यता समाप्त नही की गई है ।

11.12 छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु उपर्युक्त के अतिरिक्त नवीनीकरण के आवेदन पत्र के साथ अन्य किसी दस्तावेज की पुनः मांग नही की जायेगी । यदि स्वीकृतकर्ता अधिकारी को प्रकरण संदिग्ध लगता है या कोई शिकायत प्राप्त होती है तो वह पर्याप्त कारण के होते हुये पुनः आवश्यक दस्तावेज की मांग कर सकेगा ।

12. **अन्य निर्देश –**

12.1 संस्थाओं में छात्र/छात्रओ को छात्रवृत्ति संबधी जानकारी उपलब्ध नही कराने से छात्र/छात्रा परेशान होकर कलेक्टर कार्यालय एवं आदिम जाति कल्याण विभाग, ग्वालियर में अनावश्यक परेशान होकर चक्कर लगाते रहते है जिससे उनका पढ़ाई का समय नष्ट होता है जो छात्रो के उत्पीड़न की श्रेणी में आता है । यह शासन की मंशा के विपरीत भी है । अतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति संबधी समस्त जानकारी संस्था में ही उपलब्ध कराई जावे ताकि छात्र/छात्रा इधर–उधर भटकने पर मजबूर नही हों । यदि किसी संस्था द्वारा शासन आदेशों के विपरीत कार्य किया जाता है तो अत्याचार अधिनियम के तहत् संस्था के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है ।

12.2 म.प्र. शासन आदिम जाति व अनुसूचित जाति कल्याण मंत्रालय के आदेश क्रमांक/एफ–12–4/2007/2/25 दिनांक 10.08.2007 के अनुसार कक्षा 11वीं व 12वीं के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावासी छात्रों को निम्नानुसार अतिरिक्त छात्रवृत्ति देय होगी (यह छात्रवृत्ति वर्ग–4 हेतु निर्धारित छात्रवृत्ति के अतिरिक्त देय है।)

12.3 यदि प्रवेश माह की 20तारीख के बाद होता है तो उसे आगामी माह से छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।

12.4 पिछडा वर्ग के अंतर्गत एक ही माता–पिता के दो बच्चे छात्रवृत्ति प्राप्त करने के हकदार होगें, यह प्रतिबंध कन्या पर लागू नही होगा।

12.5 अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की छात्रवृत्ति अगली कक्षा में प्रवेश के पश्चात ही जारी की जावेगी। यदि किसी वर्ष या सेमेस्टर में बैंक रूकावट आती है और बैक का परीणाम आने तक आगामी कक्षा में प्रवेश की अनुमति देकर छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली जाती है, बाद में विद्यार्थी बैक में भी फेल होने के कारण पूर्व की कक्षा में बना रहता है तो ऐसे प्रकरण में संपूर्ण छात्रवृत्ति की राशि तत्काल विभाग को वापस की जावेगी। किसी भी दशा में जो पाठ्यक्रम जितने वर्षो के लिए निर्धारित है उससे अधिक की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं की जाये।

12.6 संस्था द्वारा विलंब से (निर्धारित तिथि के बाद) स्वीकृति प्राप्त होने पर आवंटन उपलब्ध नहीं होने की दशा में संस्था प्रमुख उत्तरदायी होगें।

12.7 संकुल प्रभारी, प्राचार्य शासकीय उ.मा.वि. और नोडल महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अपने अधीनस्थ समस्त अशासकीय उ.मा. विद्यालयों/महाविद्यालयों को उपरोक्त निर्देशों से अवगत करायेगें।

12.8 समस्त संस्था प्रमुखों को निर्देशित किया जाता है कि छात्रवृत्ति स्वीकृती एवं वितरण की जानकारी प्राप्त करने हेतु विद्यार्थियों को कलेक्ट्रेट अथवा आदिम जाति कल्याण विभाग के कार्यालय में नहीं भेजा जावे यदि कोई जानकारी प्राप्त करना हो तो संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी आदिम जाति कल्याण विभाग में स्वयं सम्पर्क करे या कार्यालयीन दूरभाष क्रमांक 2330948 पर जानकारी प्राप्त कर सकते है।

12.9 नोडल संस्था प्रमुख द्वारा छात्रवृत्ति कार्य के लिए उनके यह गठित समिति के सदस्यों के नाम सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण ग्वालियर को भेजेगें ।

12.10 प्रत्येक शासकीय नोडल संस्था प्रमुख एवं संकुल प्राचार्य अपनी संस्था से सम्बद्ध अशासकीय संस्थाओं की नियमानुसार सही स्वीकृति जारी करने के लिये पूर्णतः उत्तरदायी होगें। शासकीय नोडल संस्था/संकुल के द्वारा दल गठित कर छात्रवृत्ति स्वीकृति से पूर्व संबधित अशासकीय संस्था का भौतिक निरीक्षण कर संस्था में वास्तविक रूप से अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृति जारी की जायेगी । नोडल संस्था से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति की राशि जारी की जाती है । अतःकिसी प्रकार की गलत स्वीकृति के आधार पर यदि राशि जारी होती है तो उसके लिये संबधित नोडल/संकुल संस्था प्राचार्य/प्रमुख के विरूद्ध आवश्यक वैद्यानिक कार्यवाही की जायेगी ।

वर्ष 2012–13 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत कर वितंरित किये जाने हेतु शासन के निर्देशों के अधीन ग्वालियर जिले में छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण हेतु उपर्युक्तानुसार जारी निर्देश एवं कार्य योजना का पालन सुनिश्चित् करें छात्रवृत्ति स्वीकृति एंव वितरण के किसी प्रकार की कठिनाई आने पर तत्काल आदिम जाति कल्याण विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त कर तथा समय सीमा में छात्रवृत्ति के प्रकरण प्राप्त कर स्वीकृतिया जारी की जाये ।

(पी.नरहरि)
कलेक्टर
जिला ग्वालियर
ग्वालियर, दिनांक, 23/5

पृ. क्र./पो.मे.छा./परिपत्र/2012–13/21

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, आदिवासी विकास म.प्र. भोपाल।
2. आयुक्त, अनुसूचति जाति विकास म.प्र. भोपाल।
3. आयुक्त, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण म.प्र. भोपाल।
4. कुलपति जीवाजी विश्व विद्यालय ग्वालियर
5. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा ग्वालियर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी जिला ग्वालियर ।
7. जनसंपर्क अधिकारी, जनसंपर्क कार्यालय, ग्वालियर।
8. अधिष्ठाता/निदेशक/प्राचार्य शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय (समस्त) ग्वालियर की अं पालनार्थ।
9. प्राचार्य शासकीय/अशासकीय उ.मा.वि. (समस्त) ग्वालियर की ओर पालनार्थ।
10. संकुल प्रभारी समस्त....कुल सचिव जीवाजी विश्व विद्यालय....... ग्वालियर।
11. क्षेंत्र संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग, ग्वालियर।
12. मंडल संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, ग्वालियर।

(पी.नरहरि)
कलेक्टर
जिला ग्वालियर